

जनहित गारण्टी अधिनियम में जो भी सुविधायें उद्योगों हेतु सम्मिलित की गयी हैं, उन सुविधाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कड़ाई से अनुपालन किया जाये : मुख्य सचिव

मेगा परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत छूट प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है उनको लैटर ऑफ कम्फर्ट अविलम्ब जारी किये जायें : श्री आलोक रंजन

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा सूरजपुर, अमौसी तथा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को माडल इण्डस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के निर्णय का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव

लखनऊ – दिनांक 09 जुलाई, 2015

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि उ०प्र० सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करने की दिशा में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी विभिन्न उद्यमियों संगठन के माध्यम से उद्यमियों को पहुँचायी जाये। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापना से जुड़ी विभिन्न स्वीकृतियों आदि को निर्गत करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसकी व्यवस्था जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत बाध्यकारी कर दी गयी है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि जनहित गारण्टी अधिनियम में जो भी सुविधायें उद्योगों हेतु सम्मिलित की गयी हैं, उन सुविधाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कड़ाई से अनुपालन किया जाये और उसमें कोई लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश की औद्योगिक नीति में और बेहतर क्या किया जा सकता है इसका शीघ्र परीक्षण कराकर प्रस्तुत किया जाये।

मुख्य सचिव आज अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन मेगा परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति के तहत छूट प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है उनको लैटर ऑफ कम्फर्ट अविलम्ब जारी करके उन उद्योगों की स्थापना और विस्तार की व्यवस्था में पूरी मदद की जाये।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में औद्योगिक विकास की समीक्षा करते हुए श्री रंजन ने बताया कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग की बहुत सारी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। यहाँ पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग हब विकसित करने की सम्भावनाएं हैं, इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाये तथा जो इकाईयां यहाँ अभिरुचि दर्शा रही हैं उनसे समन्वय करके तत्काल उनको लैटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जाये।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों को परिवहन की समुचित सुविधा और विकसित की जाये। इस हेतु नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा जो भी प्रयास किये जा रहे हैं उसको अविलम्ब क्रियान्वित किया जाये। मुख्य सचिव ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा वहाँ जो सुविधाएं स्थानीय निवासियों को उपलब्ध करायी जा रही हैं उसके लिए एक मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसका रिसपॉन्स बहुत अच्छा आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिनव प्रयोगों को और प्रोत्साहित किया जाये तथा इस व्यवस्था को सुदृढ किया जाये। नोएडा द्वारा 152 सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री रंजन ने निर्देश दिया कि उन्नाव में ट्रान्स गंगा में, इलाहाबाद नैनी में संगम सिटी तथा औरैया दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी के काम में तेजी लायी जाये और जो समय सीमा इसके लिए निर्धारित की गयी है उसी समय सीमा में इन परियोजनाओं को पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा सूरजपुर, अमौसी तथा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को माडल इण्डस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने का निर्णय पहले लिया गया था उसका भी समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि कताई मिल संघ की जिन इकाईयों को पुनः संचालित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है उन्हें अविलम्ब आरम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र को अविलम्ब विकसित किया जाये, जिससे लखनऊ-कानपुर कॉरीडोर में औद्योगिक विकास को और गति मिल सके।

बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा व ग्रेटर नोएडा – श्री रमा रमण, यूपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक – श्री मनोज सिंह, उ.प्र. वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक – श्री मो. इफतेखारुद्दीन, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास – श्रीमती कंचन वर्मा सहित अन्य उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।